न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

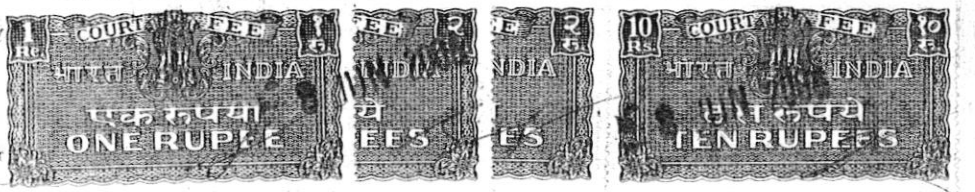

R 1027 /II/ 06

जीतलाल तनय जगधारी साहू उम्र 70 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम रजमिलान, तहसील सिगरौली जिला सीधी (म0प्र0)

....................निगरानीकर्ता

बनाम

1. जीतलाल तनय रामरतन साहू उम्र 80 वर्ष पेशा खेती
2. शेषलाल तनय रामबदन साहू उम्र 77 वर्ष पेशा खेती
3. लखपती प्रसाद तनय रामरतन साहू उम्र 72 वर्ष पेशा खेती
4. रामकुमार तनय रामरतन साहू उम्र 57 वर्ष पेशा खेती
5. हरीलाल तनय तिलक साहू उम्र 47 वर्ष
6. विश्राम साहू तनय शंखलाल साहू उम्र 30 वर्ष पेशा खेती
7. रामगोपाल साहू तनय शंखलाल साहू उम्र 28 वर्ष पेशा खेती
8. रामकृपाल साहू तनय शंखलाल साहू उम्र 26 वर्ष
9. बुधराम साहू तनय शंखलाल साहू उम्र 24 वर्ष
10. ईश्वर प्रसाद तनय मोदी साहू उम्र 44 वर्ष
11. गंगा प्रसाद तनय रामू साहू उम्र 61 वर्ष
12. लहुरमन तनय रामूसाहू उम्र 57 वर्ष
13. शिवधन तनय जयमंगल साहू उर्फ समयलाल साहू उम्र 51 वर्ष
14. देवनरायण तनय जयमंगल उर्फ समयलाल साहू उम्र 56 वर्ष
15. मनिकचन्द्र तनय पंचधारी साहू उम्र 35 वर्ष
16. उदयचन्द्र तनय पंचधारी साहू उम्र 32 वर्ष
17. रैमुनिया पत्नी गणेश साहू उम्र
18. रामपता तनय गणेश साहू उम्र
19. सीताराम तनय गणेश साहू उम्र

20. गौरा देवी पत्नी रामावतार साहू उम्र

21. आशीष कुमार तनय रामावतार साहू उम्र

22. श्यामसुन्दर तनय रामावतार साहू उम्र

23. अर्चना पुत्री रामावतार साहू उम्र

24. चन्द्रप्रभा पुत्री रामावतार साहू उम्र

25. उर्मिला साहू पुत्री रामावतार साहू उम्र

26. बनवारी लाल तनय सुमेश्वर साहू उम्र

27. सहोदरी पत्नी गोबिन्द साहू उम्र

28. जगमन्ती पत्नी गोबिन्द साहू उम्र

29. कुन्ती पुत्री गोबिन्द साहू उम्र

30. विशुन तनय रामधन साहू उम्र 66 वर्ष

31. किशुन तनय रामधन साहू उम्र 64 वर्ष

सभी का पेशा खेती, सभी निवासी ग्राम रजमिलान तहसील सिंगरौली, जिला–सीधी (म0प्र0) .....**गैर निगरानीकर्तागण**

निगरानी विरूद्ध आदेश श्री व्ही0के0 सिंह अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा, प्रकरण क्र. 727/अपील/95–96 जीतलाल तथा अन्य विरूद्ध जैतलाल तथा अन्य के द्वितीय अपील प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 27.04.06

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

1. यह कि निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध होने से काबिल मान्य नही व निरस्त योग्य है।

2. यह कि प्रथम अपीलीय न्यायालय उप खण्ड अधिकारी तहसील सिंगरौली जिला सीधी ने प्रकरण क्र. 91/अपी0/93–94 में पारित आदेश दिनांक 29.08.96 में तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 06.04.1996 में बैधानिक त्रुटिया पाते हुये तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि, विधिवत उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर कतिथ वयनामा तथा नामान्तरण में हुये बिलम्ब के कारणों एवं उसकी सत्यता की

क्रमशः.....3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 1027–दो/2006 निगरानी जिला– रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24/7/17	आवेदक के अभिभाषक को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 727/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–4–2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। , 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम रजमिलान स्थित भूमि सर्वे नंबर 1674 रकबा 12–37 एकड़ जगधारी के नाम पर थी जिसे जगधारी ने वर्ष 1954 में रू. 90/– लेकर रामरतन को विक्रय कर दी। रामरतन फोत हो चुके है जिनके वारिस अनावेदक कमांक 1 से 4 हैं। इसी प्रकार उक्तांकित भूमि के हिस्सा 1/6 को गणेश, विसुन के पूर्वज ने अपना हक रामभरोसे को सौंप दिया,जिनकी मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिस रसोकलाल, अभयलाल, राधिका प्रसाद हैं। राजस्व अभिलेख में अमल न होने के कारण इन पक्षकारों ने नायव तहसीलदार प्रभारी अमलिया तहसील सिंगरोली को नामान्तरण आवेदन दिया, जिस पर से प्रकरण कमांक 242 अ–6/1992–93 पॅजीबद्ध हुआ एंव आदेश दिनांक 6–4–96 से नामान्तरण आदेश हुये। इस आदेश के विरूद्ध जैतलाल पुत्र जगधारी साहू ने अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली के	

समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 91/1993–94 अपील में पारित आदेश दिनॉक 29–8–1996 से अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार सिंगरोली की ओर पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया । इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील/निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 727/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–4–2006 से अपील स्वीकार की एंव अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली के आदेश दिनांक 29–8–96 को निरस्त कर दिया। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली के प्रकरण कमांक 91/1993–94 अपील में पारित आदेष दिनॉक 29–8–1996 को इस आधार पर निरस्त किया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि 90/–रू. की टीप का दस्तावेज विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है अनुविभागीय अधिकारी ने यह निष्कर्ष किस आधार पर निकाला है विस्तृत विवेचना कर स्पष्ट नहीं किया है। अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 27–4–06 में विवेचित किया गया है कि 100/–रू. से कम मूल्य की संपत्ति का रजिस्टर्ड होना आवश्यक

नहीं है। उन्होंने विवेचना कर यह भी निष्कर्ष दिया है कि जब तहसील न्यायालय ने विधिवत् इस्तहार जारी किया है तथा दस्तावेज को साक्षीगण के कथनों से प्रमाणित किया गया है तब अनुविभागीय अधिकारी को तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त प्रकरण पुनः कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित करना विधिसंगत नहीं है। वैसे भी न्यायालय का दायित्व है कि पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी न बढ़े – इसका ध्यान रखा जाना चाहिये और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 727/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–4–2006 उचित प्रतीत होता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 727/1995–96 अपील में पारित आदेश दिनांक 27–4–2006 उचित प्रतीत होने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य